मैसर्स. पी. वैकुंता शेनोय एंड कंपनी

बनाम.

पी. हरि शर्मा

31 अक्टूबर, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

कर्नाटक धन ऋणदाता अधिनियम, 1961; धारा 2 (10):

व्यवसाय/बाजार प्रथाएं - सुपारी के आपूर्तिकर्ता को पैसा देने वाला एक कमीशन एजेंट, हालांकि, ब्याज वसूल कर-आपूर्तिकर्ता ने कथित तौर पर राशि का भुगतान नहीं किया-वसूली के लिए मुकदमा - ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला - उच्च न्यायालय द्वारा फैसला पलटा गया - अपील पर, निर्धारित : यद्यपि आपूर्तिकर्ता को उसके द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज वसूलने वाला कमीशन एजेंट, लेकिन ऋण के इस तरह के अग्रिम भुगतान का मुख्य उद्देश्य माल, सुपारी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना था, न कि धन उधार देना-इस तरह के व्यवसाय में ऐसी प्रथा प्रचलित और व्यापक रूप से फैली हुई है-साहूकारों की परिभाषा के अनुसार उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करते हुए, अपीलार्थी को साहूकार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सख्त अर्थों में धन उधार देने का व्यवसाय नहीं कर रहा था-इसलिए, विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया और

विचारण न्यायालय के फैसले के क़ानून-उद्देश्यपूर्ण निर्माण की व्याख्या को बहाल कर दिया।

अपीलार्थी सुपारी का कमीशन एजेंट था और प्रतिवादी एक आपूर्तिकर्ता था। प्रत्यर्थी सुपारी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अपीलार्थी से अग्रिम धन प्राप्त करता था। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी ने उससे कुछ राशि उधार ली थी लेकिन उसे नहीं चुकाया।इसलिए, उन्होंने ब्याज के साथ राशि की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया।निचली अदालत के समक्ष, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता एक साहूकार था और उसके पास कर्नाटक जी मनी लेंडर्स एक्ट, 1961 के अनुसार आवश्यक लाइसेंस नहीं था। इसलिए, सूट रखरखाव योग्य नहीं था।} ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाया।अपील पर, आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि वह कर्नाटक धन ऋणदाता अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित एक साहूकार नहीं था।

प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि दी गई परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक धन ऋणदाता अधिनियम की धारा 2 (10) के अनुसार, अपीलार्थी स्पष्ट रूप से एक साहूकार था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. 1.धन ऋणदाता अधिनियम का उद्देश्य लोगों की गरीबी का लाभ उठाने के लिए साहूकारों द्वारा उत्पीड़न के कदाचार को रोकना है। [पैरा 7] (728 - सी)

1.2 धन उधार देने के व्यवसाय में साहूकार का उद्देश्य अपने अग्रिम ऋण पर ब्याज अर्जित करना होता है।वर्तमान मामले में अपीलार्थी द्वारा ऋण को आगे बढ़ाने का उद्देश्य उस पर ब्याज अर्जित करना नहीं था, बल्कि सुपारी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना था।हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन ऋणों पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता था, फिर भी ऋण को आगे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था। [पैरा 8](728 - डी, ई)

1. 3. व्यवसाय में एक व्यापारी द्वारा अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं।बहुत बार, एक तरीका यह है कि व्यापारी अपने आपूर्तिकर्ता को माल की अग्रिम राशि देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति नियमित है और अन्य पक्षों को दिए जाने के बजाय उसे दी जाती है।इस प्रथा में कुछ भी अवैध नहीं है और यह व्यापक है।[पैरा 9] [728- ई, एफ]

2. 1.जब कर्नाटक धन ऋणदाता अधिनियम के प्रावधानों को लागु किया जाता है, तो जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था, उसे देखा जाना

चाहिए और इस उद्देश्य के लिए उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए।[728-एफ, जी

न्यू इंडिया शुगर मिल्स बनाम बिक्री कर आयुक्त, ऐ, आई. आर. (1963) एससी 1207:[1963] सप्लीमेंट 2 एससीआर 459 और यू. पी. भूदान यज्ञ समिति बनाम ब्रज किशोर, एआईआर (1988) एससी 2239: [1988] 4 एस. सी. सी. 274, पर निर्भर था।

2. 2.साहूकारों की परिभाषा की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से अपीलार्थी को साहूकार नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वह वास्तव में धन उधार देना का व्यवसाय नहीं कर रहा था, लेकिन केवल सुपारी की नियमित आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए ऋण देता था। [पैरा 13] [729-डी, ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 5540/2001

(1997 के आर. एफ. ए. सं. 531 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश से)

अपीलार्थी की ओर से वी. बी. जोशी और कैलाश पांडे।

प्रतिवादी की ओर से जी. वी. चंद्रशेखर, अंजना चंद्रशेखर और पी. पी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय मार्कंडेय काटजू, जे द्वारा दिया गया ।

1. यह अपील 1997 के आर. एफ. ए. सं. 531 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.03.2000 . के विवादित फैसले के खिलाफ दायर की गई है। हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता गण को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

2. वादी-अपीलार्थी ने अभिकथित किया है कि वह कमीशन एजेंट का व्यवसाय कर रहा था। प्रतिवादी के पास सुपारी का बगीचा था और वह वादी को सुपारी की आपूर्ति करता था। प्रतिवादी वादी से बार-बार पैसे प्राप्त करता था, जिसे वादी सुपारी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसे अग्रिम धन देता था । वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी ने वादी द्वारा नियमित रूप से रखे गए बही खाते के अनुसार Rs.72,044.43 पैसे उधार लिए थे। इसलिए वादी ने 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ इस राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया।

3. प्रतिवादी ने वादी के मामले को अस्वीकार कर दिया और यह तर्क दिया कि वादी एक साहूकार था और उसके पास कर्नाटक धन ऋणदाता अधिनियम, 1961 के अनुसार आवश्यक लाइसेंस नहीं था। नतीजतन, प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि मुकदमा विचारणीय नहीं था क्योंकि वादी ने उपरोक्त अधिनियम के तहत लाइसेंस नहीं लिया था।

4. विचारण न्यायालय ने वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया लेकिन उक्त आदेश को उच्च न्यायालय ने दरकिनार कर दिया। इसलिए यह अपील की गई है।

5. वादी-अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि एक वादी कर्नाटक धन ऋणदाता अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित धन-ऋणदाता नहीं था। उपरोक्त धारा 2 (10) में कहा गया है कि एक साहूकार वह है जो "राज्य में धन उधार देने का व्यवसाय करता है"।

धारा 2 (2) धन उधार देने के व्यवसाय को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

"धन उधार देने के व्यवसाय का अर्थ है अग्रिम ऋण का व्यवसाय, चाहे वह किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में हो या नहीं।"

6. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त परिभाषाओं को देखते हुए अपीलार्थी स्पष्ट रूप से एक साहूकार था। हम सहमत नहीं हैं।

7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य लोगों की गरीबी का लाभ उठाने के लिए साहूकारों द्वारा उत्पीड़न के कदाचार को रोकना था।

8. धन उधार देने के व्यवसाय में साहूकार का उद्देश्य अपने अग्रिम ऋण पर ब्याज अर्जित करना होता है। वर्तमान मामले में अपीलार्थी द्वारा ऋण को आगे बढ़ाने का उद्देश्य उस पर ब्याज अर्जित करना नहीं था, बल्कि

सुपारी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना था। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन ऋणों पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाता था, फिर भी ऋण को आगे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था।

9. व्यवसाय में एक व्यापारी द्वारा अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। अक्सर, एक तरीका यह है कि व्यापारी अपने माल के आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए पैसे देता है कि आपूर्ति नियमित हो और अन्य पक्षों को दिए जाने के बजाय उसे दी जाये। इस प्रथा में कुछ भी अवैध नहीं है और यह व्यापक है।

10. जब हम कर्नाटक धन ऋणदाता अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाते हैं तो हमें उस उद्देश्य को देखना चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया था और इसके लिए हमें उद्देश्यपूर्ण निर्माण को अपनाना होता है।

11. जैसा कि इस न्यायालय ने न्यू इंडिया शुगर मिल्स बनाम बिक्री कर आयुक्त, ए. आई. आर. (1963) एस. सी. 1207, पी.1213:[1963] पूरक 2 एस. सी. आर. 459]: में देखा :

> "यह कानूनों की व्याख्या का एक मान्यता प्राप्त नियम है कि इसमें उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों को सामान्य रूप से इस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे क़ानून के उद्देश्य के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य

रखते हैं, और जो विधायिका के उद्देश्य को प्रभावी बनाते हैं।"(जी. पी. सिंह के "वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत" में उल्लिखित निर्णयों को भी देखें।9 वां संस्करण 2004 पृष्ठ 110 पर)।

12. उदाहरण के लिए, यू. पी. भूदान यज्ञ अधिनियम, 1953 के तहत बड़े भूस्वामियों द्वारा दान की गई भूमि 'भूमिहीन व्यक्तियों' को आवंटित की जा सकती थी।यह इस न्यायालय द्वारा यू. पी. भूदान यज्ञ समिति बनाम ब्रज किशोर, ए. आई. आर. (1988) एस. सी. 2239 में अभिनिर्धारित किया गया थाः [1988] 4 एस. सी. सी. 274 ने कहा कि 'भूमिहीन व्यक्तियों' की व्याख्या छोटे भूमिहीन किसानों के रूप में की जानी चाहिए न कि भूमिहीन व्यापारियों के रूप में।यदि 'भूमिहीन व्यक्ति' शब्द का शाब्दिक अर्थ दिया जाए तो एक बहुत ही अमीर व्यवसायी जिसके पास सैकड़ों करोड़ रुपये हैं, वह भी इस आधार पर भूमि के एक टुकड़े के आवंटन का दावा कर सकता है कि वह एक भूमिहीन व्यक्ति था क्योंकि उसके पास कोई भूमि नहीं थी। संभवतः यह अधिनियम का उद्देश्य नहीं हो सकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य केवल भूमिहीन किसानों को ही भूमि देना था।

13. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि साहूकारों की परिभाषा की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से अपीलार्थी को साहूकार नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वह वास्तव में

सख्त अर्थों में धन उधार देने का व्यवसाय नहीं कर रहा था, बल्कि केवल सुपारी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऋण दे रहा था।

14. उपरोक्त को देखते हुए इस अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

एसकेएस.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।